मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

टावर–1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर भवन, गोमती नगर विस्तार

संख्या–पॉच–(तदर्थ प्रोन्नति)–2025 दिनांकःसितम्बर 29 , 2025

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय, लखनऊ।
पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 मुख्यालय, लखनऊ।
अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
अपर पुलिस महानिदेशक/सदस्य, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।

विषय :एक वर्ष से अधिक समय से मुहरबन्द लिफाफे के मामले में शासनादेश दिनांक 28–05–1997 के प्रस्तर–1(10) के आलोक में तदर्थ प्रोन्नति के सम्बन्ध में।

आपका ध्यान सन्दर्भगत शासनादेश संख्याः 13/21/89–का–1/1997 दिनांक 28–5–1997 के उल्लिखित प्रस्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है। उक्त प्रस्तर में इस आशय का प्रावधान है किः–

''चयन समिति द्वारा प्रथम बार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहरबन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रक्रिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो, तो ऐसे कार्मिकों के विषय में, जो निलम्बित नहीं है, चयन समिति द्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा'':–

(क) आरोपित कार्मिक के विरुद्ध लगाये गये आरोप क्या इतने गम्भीर हैं कि उनके आधार पर उसे भविष्य में भी प्रोन्नति से वंचित रखा जाना उपयुक्त/जनहित में होगा,

(ख) क्या प्रशासनाधिकरण की जांच/विभागीय कार्यवाही/अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने में काफी समय लगेगा,

(ग) प्रशासनाधिकरण की जांच/विभागीय कार्यवाही/अभियोजन में हो रहे विलम्ब के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आरोपित कार्मिक तो दोषी नहीं है,

(घ) आरोपित कार्मिक को तदर्थ प्रोन्नति दिये जाने पर वह अपने पद का दुरुपयोग अथवा जांच को कुप्रभावित तो नहीं करेगा,

(ड.) यदि सक्षम प्राधिकारी उपर्युक्त खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) के आधार पर विचारोपरान्त आरोपित कार्मिकों को तदर्थ आधार पर प्रोन्नति करना उपयुक्त समझते हैं तो उस दशा में विभागीय चयन समिति के सामने मामले को रखा जायेगा तो आरोपित कार्मिक के

सम्पूर्ण अभिलेखों के आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन करेगी तथा तदर्थ रूप से प्रोन्नति देने अथवा न देने के विषय में अपनी संस्तुति देगी।

2– लम्बे समय तक चलने वाली जॉचों के कारण मुहरबन्द लिफाफे की स्थिति में तदर्थ प्रोन्नति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के आधार पर यह अनुभव किया गया है कि तत्सम्बन्धी प्रस्तावों का परीक्षण शासनादेश संख्याः 13/21/89–का–1/1997 दिनांक 28–5–1997 के प्रस्तर–1(10) के सभी बिन्दुओं के सापेक्ष न करके मात्र 01 वर्ष की समयावधि की पूर्णता के आधार पर चयन प्रस्ताव प्रेषित कर दिये जाते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत शासनादेश के सभी संगत बिन्दुओं के सापेक्ष प्रस्ताव परीक्षित न होने के कारण चयन कार्यवाही को पूर्ण किये जाने में कठिनाई उत्पन्न होती है और अनावश्यक रूप से समय एवं श्रम का व्यय होता है तथा सम्बन्धित कार्मिक को तदर्थ प्रोन्नति के सम्भावित लाभ से वंचित रहना पड़ता है।

3– सन्दर्भगत शासनादेश संख्याः 13/21/89–का–1/1997 दिनांक 28–5–1997 के प्रस्तर–1(10) के खण्ड–(क) से (ड.) में उल्लिखित प्रावधानों के अध्ययन/अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी कार्मिक की तदर्थ प्रोन्नति का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की विभागीय चयन समिति को प्रेषित किये जाने का औचित्य तभी स्थापित होगा जबकि प्रश्नगत शासनादेश के प्रस्तर–1(10) के खण्ड–(क) से (घ) तक अंकित प्रावधानों के सापेक्ष सम्बन्धित कार्मिक की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी (नियुक्ति प्रधिकारी) द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया हो। उपर्युक्त प्रस्तर के खण्ड (च) में यह भी प्रावधान है कि ''यदि जांच प्रशासनाधिकरण आदि किसी अन्य एजेन्सी द्वारा कराई जा रही हो तो उस दशा में उस एजेन्सी का परामर्श भी इस बिन्दु (तदर्थ आधार पर प्रोन्नति देने) पर प्राप्त किया जायेगा।'' **प्रश्नगत शासनादेश के प्रस्तर–1 (10) के खण्ड (ड.) से स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी यदि खण्ड (क) (ख) (ग) और (घ) के आधार पर विचारोपरान्त आरोपित कार्मिक को तदर्थ आधार पर प्रोन्नत करना उपयुक्त समझते हैं तो केवल और केवल उसी दशा में चयन समिति के सामने मामले को रखा जायेगा।** यह भी स्पष्ट है कि सम्बन्धित मानकों के सापेक्ष परीक्षणोपरान्त यदि सक्षम प्राधिकारी यह पाते हैं कि सम्बन्धित कार्मिक की तदर्थ प्रोन्नति का औचित्य स्थापित नहीं होता है तो ऐसे चयन प्रस्ताव विभागीय चयन समिति के विचारार्थ प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु सक्षम प्राधिकारी के स्तर से ही सकारण व स्वमुखरित आदेश पारित कर यथास्थिति सम्बन्धित कार्मिक एवं माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होने की स्थिति में माननीय न्यायालय को अवगत कराया जायेगा।

4– उपर्युक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि यदि तदर्थ आधार पर प्रोन्नति का औचित्य स्थापित होता है तो ऐसा प्रस्ताव पद से सम्बन्धित सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सुस्पष्ट संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के माध्यम से ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को उपलब्ध कराया जाना समीचीन होगा। प्रसंगतः यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत शासनादेश के सन्दर्भगत प्रस्तर में किये गये प्रावधान की मूल मंशा के अनुरूप तदर्थ प्रोन्नति सम्बन्धी चयन प्रस्तावों के प्रेषण के समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अभिलेखीय प्रमाणों सहित इस आशय का भी प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना चाहिये कि शासनादेश दिनांक 28–05–1997 के प्रस्तर–1(10) के तहत प्रकरण का परीक्षण कर लिया गया हैः–

(1) अभियोग में बचाव पक्ष द्वारा कितनी तारीखें ली गयी है और किस कारण से ली गयी है ? ,

(2) अभियोग में अभियोजन पक्ष द्वारा कितनी तारीखें ली गयी है और किस कारण से ली गयी हैं ?

(3) अभियोग में याची के साथ अन्य और कितने कार्मिक सम्मिलित है और उनकी प्रोन्नति के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

(4) अभियोग में चार्जशीट और एफ0आई0आर0 की प्रति।

5— उपर्युक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि जनपद/इकाई स्तर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को ऐसे प्रस्ताव भी प्रेषित कर दिये जाते हैं, जिनमें मुहरबन्द लिफाफों को खोले जाने की अपेक्षाएँ की जाती है। वस्तुस्थिति यह है कि बोर्ड द्वारा चयन की कार्यवाही सम्पन्न होने के उपरान्त प्रेषित की जाने वाली संस्तुतियों के साथ ही मुहरबन्द लिफाफे भी मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को प्रेषित कर दिये जाते हैं। ऐसी स्थिति में बोर्ड स्तर से मुहरबन्द लिफाफों के खोले जाने का औचित्य स्थापित नहीं होता है। लिफाफा खोले जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांकित 28—05—1997 में स्पष्ट प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी (नियुक्ति प्राधिकारी) द्वारा शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

6— प्रकरण में यह भी सूच्य है कि कतिपय कार्मिकों/याचीगणों द्वारा जिनके विरूद्ध पंजीकृत अभियोग में आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित होने के कारण उनकी पदोन्नति के सम्बन्ध में संस्तुति मुहरबन्द लिफाफे में रखी गयी है, आरक्षी से मुख्य आरक्षी, मुख्य आरक्षी से उप निरीक्षक और उप निरीक्षक से निरीक्षक तथा अन्य समकक्ष पदों पर शासनादेश दिनांकित 28—05—1997 में दिये गये प्रावधान के अनुसार पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय/माननीय अधिकरण में याचिकाएँ योजित की जाती हैं तथा न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन न होना मानकर अवमानना याचिका योजित कर दी जाती है, जिससे शासन और पुलिस विभाग के समक्ष विषम स्थिति उत्पन होती है। अतः आवश्यक है कि कार्मिकों/याचीगणों के तदर्थ प्रोन्नति के प्रकरण भी यथासमय निस्तारित करके यदि सक्षम प्राधिकारी (नियुक्ति प्राधिकारी) शासनादेश दिनांक 28—05—1997 के अनुपालन में विभागीय प्रोन्नति समिति (डी0पी0सी0) की बैठक सम्पन्न होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात तदर्थ प्रोन्नति हेतु यदि प्रकरण उचित पाते हैं, तो बोर्ड को उचित माध्यम से संदर्भित कर दिये जाएं।

7— अतः उपर्युक्त प्रस्तरों में वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि आरक्षी से मुख्य आरक्षी, मुख्य आरक्षी से उप निरीक्षक और उप निरीक्षक से निरीक्षक तथा अन्य समकक्ष पदों पर पदोन्नति के परिपेक्ष्य में ऐसे कार्मिकों, जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होने के कारण विभागीय चयन समिति की संस्तुति मुहरबन्द लिफाफे में रखी गयी है, के सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा प्रथम बार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहरबन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने के उपरान्त शासनादेश दिनांक 28—05—1997 के प्रस्तर—1(10) के खण्ड—(क) से खण्ड—(ड़.) तक दिये गये प्रावधानों को अपने अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दुओं के अनुसार ही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्मिकों के तदर्थ प्रोन्नति पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(राजीव कृष्णा)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
2— समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश।
3— समस्त सेनानायक पी0ए0सी0 वाहिनी उत्तर प्रदेश ।
4— समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5— समस्त अनुभागीय पुलिस उप महानिरीक्षक, पी0ए0सी0 उत्तर प्रदेश।